राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5951/2022

क्यूरियस दयाल शर्मा (कर्मचारी आई.डी.– आरजेकेओ198627004109)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.11.2022
आदेश की दिनांक :

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी पीईटी ग्रेड–।। के पद पर रा.उ.मा.वि. सिविल लाईन, कोटा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 01.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोलाना, लाडपुर, कोटा में किया गया है। पूर्व में उक्त स्थानांतरण आदेश को अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 4168/2022 को चुनौती दी थी। उक्त अपील में अधिकरण द्वारा दिनांक 18.10.2022 को यह आदेश पारित किया था, जिसमें अपीलार्थी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिये गए थे एवं राज्य सरकार को अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश

प्रसारित कर निस्तारित करने के आदेश दिये गए थे। तब तक के लिए स्थानांतरण आदेश को स्थगित किया गया था। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया। इस अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.11.2022 को आदेश पारित कर अभ्यावेदन खारिज किया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अभ्यावेदन को गलत रूप से खारिज किया गया है। अपीलार्थी द्वारा जो आधार अभ्यावेदन में दिये गए है, उन पर आख्यात्मक आदेश पारित नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में जो आधार बताये गए थे, उन पर भी विचार नहीं किया। ऐसे में अभ्यावेदन को गलत रूप से निरस्त खारिज किया गया है। उक्त अभ्यावेदन निरस्त किये जाने के पश्चात अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है, जबकि अभ्यावेदन का निस्तारण ठीक प्रकार से नहीं किया गया। अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश दिनांक 01.09.2022 (अनुलग्नक–1), कार्यमुक्ति आदेश 18.11.2022 व अभ्यावेदन को निस्तारण करने के आदेश दिनांक 04.11.2022 इस अपील के जरिये चुनौती दी है।

3. हमनें विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया।

4. अपीलार्थी द्वारा पूर्व अपील संख्या 4168/2022 में जो आधार लिये थे, उन सभी आधारों को देखते हुए अधिकरण ने अपीलार्थी को अपने आदेश दिनांक 18.10.2022 के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे एवं निम्न प्रकार से आदेश पारित किया थाः–

> ''प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी हृदय रोग की गंभीर बीमारी से पीड़ित है तथा अपीलार्थी का घुटना (Knee Replacement) गया है, जिससे अपीलार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम

प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के संबंध में आलौच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 01.09.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।''

उपरोक्त आदेश पारित होने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 04.11.2022 को आदेश पारित किया। उक्त आदेश में प्रत्यर्थी विभाग ने निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

''अपीलार्थी द्वारा स्वयं के अभ्यावेदन में माननीय अपील अधिकरण के आदेश का उल्लेख करते हुए प्रार्थी के अभ्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर प्रार्थी का स्थानांतरण कोटा शहर में ही निकट किसी भी स्थान पर वशाशि के रिक्त पद पर अथवा राउमावि सिविल लाईन कोटा में समायोजित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है एवं व्यक्ति के सामाजिक प्राणी होने के कारण इनके सामाजिक एवं पारिवारिक उत्तरदायित्व होते है। इन उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु किसी भी अभ्यार्थी को यह अधिकार नहीं मिल

जाता कि वह किसी विशेष स्थान पर बना रहे या पदस्थापित किया जावें। स्थानांतरण करते समय विभाग की समग्र रिक्तियों की स्थिति एवं विद्यालय की व्यवस्था पदस्थापन को संतुलित करने की स्थिति को ध्यान में रखाकर स्थानांतरण किया जाता है। स्थानांतरण पूर्णतया एक प्रशासनिक मामला है एवं किसी भी कार्मिक की सेवाएं कहां ली जावें, यह सक्षम अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आता है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहन मनन एवं अध्ययन माननीय अपील अधिकरण के आदेश के प्रकाश में किया गया। माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की परिवेदना का निस्तारण विधि एवं नियमानुसार किये जाने के निर्देशा दिये गए है। इस क्रम में विभागीय परिपत्रों/दिशा–निर्देशों अध्ययन किये जाने पर ऐसा कोई विधिक आधार अपीलार्थी के पक्ष में नहीं पाया गया, जिससे अपीलार्थी की परिवेदना को स्वीकार किया जा सकता हो। इस प्रकार अपीलार्थी कार्मिक द्वारा अपने अभ्यावेदन में स्थानांतरण संशोधित करने के संबंध में कोई नियम संगत आधार वर्णित नहीं किया गया है।

अतः अपीलार्थी का अभ्यावेदन विभागीय परिपत्रों/नियमों/दिशा–निर्देशों के विपरीत होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।''

1 अतः उपरोक्त आदेश दिनांक 04.11.2022 से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन को गुणावगुण पर निस्तारित किया गया। यह प्रकट नहीं होता है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित नहीं किया गया हो। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यह नियोजक के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लें। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण

Rajendra Roy Vs. Union of India (1993) 1 SCC 148 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया हैः–

> ***"It is true that the order of transfer often causes a lot of difficulties and dislocation in the family set up of the concerned employees but on that score the order of transfer is not liable to be struck down. Unless such order is passed mala fide or in violation of the rules of service and guidelines for transfer without any proper justification the Court and the Tribunal should not interfere with the order of transfer."***

विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी के स्थानांतरण हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5. अतः यह अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनंत भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)